IV 65/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

AA 502252

वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR
21 AUG 2018
गाजीपुर

(1)

श्री उदयनारायण ट्रस्ट (बरहपुर, नन्दगंज–गाजीपुर)

[redacted]

न्यास विलेख (Insrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 25-9-18 को **उदयनारायण यादव पुत्र स्व0 जंगी यादव निवासी ग्राम– विश्रामपुर पोस्ट– सबुआ, थाना– करण्डा जिला– गाजीपुर उ0प्र0** द्वारा घोषित किया गया ।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक पर रूपया **5000 / – (पाँच हजार रूपया मात्र)** की धनराशि है । जिसे न्यास कर्तागण / संस्थापकगण पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विषेश रूप से कार्य करेगा । जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा । न्यासकर्ता / संस्थापक की यह इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से

उदय नारायण

नं0 १०८३० मूल्य ५००) दिनांक २४-९-०१८

साकिन प्र0 ट्रस्ट के साथ बेचा श्री उदपनरापन ट्रस्ट वरहपुर नन्दगंज — गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक उदपनरापन श्री० स्वर्णगी यादव सा० विश्रामपुर जि० गाजीपुर

रामप्रसाद

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

उप निबन्धक सैदपुर
उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

37AA 287165

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 **5000/– (पॉच हजार रूपया मात्र)** की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **ग्राम– बरहपुर, नन्दगंज, जिला गाजीपुर उ0प्र0** में रहेगा एवं अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता / ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

श्री उदयनारायण ट्रस्ट

(इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली–

1–ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा ।

1. यह बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जुनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, बालिका विद्यालयों एवं बालिका महाविद्यालयों, अंग्रेजी माध्यम एवं उर्दू के विद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, छात्रावासों, कम्प्यूटर, केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण, विकास, सम्बन्ध आबद्ध प्रबन्धन संचालक आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानो, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हे सम्बन्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करना आदि।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

उदयनारायण

9/25/2018 नं0 90831 मूल्य 201 दिनांक 24-9-018 पुष्टि विलेख 52

शामिल नं0 90830 के साथ बेचा

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
लाoनंo-8 अवधि मार्च सन 2020 तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

न्यास पत्र

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री उदयनारायण यादव ,
पुत्र श्री स्व० जंगी यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: निवासी ग्राम विश्रामपुर पोस्ट सबुआ थाना करण्डा जिला गाजीपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 25/09/2018 एवं 03:02:00 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह
उप निबंधक :सैदपुर
गाजीपुर
25/09/2018

श्री निवास तिवारी
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 287148

3— खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना करना एवं संचालन करना।

4— कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।

5— उद्यानीकरण एवं जंगल आदि का विकास करना।

6— महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना। एवं मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु माइनरटी के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना ।

7— प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

8— कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।

9— केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकुद , युवा कल्याण मंत्रालय,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

10— बी0 एड0, एम0 एड0, बी0 टी0 सी0, डी0 एल0 एड0, बी0 पी0 एड0, प्राथमिक शिक्षा आई0 टी0 आई0, आई0 आई0 टी0, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशीयन, लैब टेक्नीशीयन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं उर्दू, फारसी, अरबी व अदब और दीनियात का संचालन करना।

11— समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, फोटो स्टेट,टाइपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12— पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र – पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मुल्य का निर्धारण करना।

9/26/2018 पुष्टि विलेख 58,59

नं0 १०८३२ मूल्य २०१ दिनांक २४-८-०१८

शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

(हस्ताक्षर)
स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-8 अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री उदयनारायण यादव, पुत्र श्री स्व० जंगी यादव

निवासी: निवासी ग्राम विश्रामपुर पोस्ट सबुआ थाना करण्डा जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि (हस्ताक्षर)

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

(हस्ताक्षर) आनन्द सिंह

श्री आनन्द सिंह , पुत्र श्री बजरंगी सिंह

निवासी: ग्राम डहन सैदपुर गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल राम, पुत्र श्री कैलाश राम

निवासी: ग्राम सौरम करण्डा गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

(हस्ताक्षर) अनिल राम

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

श्री निवास तिवारी
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 287149

13. अंधे, गूंगे बहरे असहाय लोगो के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना ।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने तथा मदरसो, मकतबो, तहतानियां कौफानिया आलिया हाजियाकारी मुन्शी मौलवी कामिल, आलिम, फाजिल मुफती निश्वा मदरसों तथा उच्चस्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयो की प्रबन्ध करना

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी करने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्धकरना

16. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण करना ।

17. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम अधिवेश गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना ।

18. सिलाई कढ़ाई बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना ।

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरंग कालेजों, आई0टी0 आई0 कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित करना । एवं इदारा हाजा में दर्से निजामिया और दर्से आलिया द्वब मुताबिक अरबी फारसी, बोर्ड सेकेन्ड्री और डिग्री कालेज के मेअर की शिक्षा प्रदान करना ।

उदयनारायण

नं0 १०८३३ मूल्य २०) दिनांक २४-८-०१८

शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★ 11 SEP 2018 ★
गाजीपुर

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5) 37AA 287150

20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अनतर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से अधिक सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना ।

21. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना ।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना ।

23. कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रसार–प्रचार करना ।

24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना ।

25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना ।

26. पुस्तक/पुस्तिकाएं, पत्र–पत्रिकाएं समाचार पत्र आदि को प्रकाशित सम्पादित, वितरित एवं विक्रय करना ।

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना ।

28. पत्राचार द्वारा अध्ययन, अध्यापन को प्रोत्साहित करना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं करना ।

29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे– सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना ।

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णाधार करना ।

31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना ।

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना ।

नं0 १०८३४ मूल्य २०/ दिनांक २४-८-०१८

शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

कार्यालय उप नियन्त्रक, सैदपुर, जनपद गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 287151

33. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों, व्यवसायिक कालेजों एवं प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।

34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।

35. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा संभव अपनी उत्पादित वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि का प्रसार करना ।

36. ट्रस्ट अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्र कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा ।

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलिटेक्निक का निर्माण करना ।

39. किसानों के उत्थान हेतु कृषि सुधार हेतु नवीन बीज की जानकारी देना ।

40. फल संरक्षण, आचार–मुरब्बा, औषधि खेती की जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात–निर्यात करना ।

41. दलित, पिछड़ों, अल्प संख्यकों को संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।

विद्यानारायण

नं० १०८३४ मूल्य २०) दिनांक २४-८-०१८
शामिल नं० १०८३० के साथ बेचा

रामप्रसाद
स्टाम्प वि० क्रेता-राम प्रसाद यादव
ला०नं०-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★ 11 SEP 2018 ★
गाजीपुर

उप निबन्धक, सैदपुर
गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) 37AA 287152

42. धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना ।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।
44. सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध कराना ।
45. अन्य सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा समायोजित कर संचालित करना ।
46. चिकित्सालयों का निर्माण एवं उनका संचालन कर सकता है, अन्य चिकित्सालयों को ट्रस्ट द्वारा सामयोजित कर संचालित करना ।
47. रंगमंच को बढ़ावा देना तथा रामलीला, नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी एवं उनका मंचन करना ।
48. देश एवं विदेश से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमां को बढ़ावा देना ।
49. संतो व महापुरूषों की मुर्ति का स्थापना करना ।

2. प्रारम्भिक उपलब्धः—

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **उदयनारायण यादव पुत्र स्व0 जंगी यादव** को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी, **उदयनारायण यादव पुत्र स्व0 जंगी यादव** द्वारा रजिस्टार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो वरिष्ठता क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होगे ।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते है ।

उदयनारायण

नं0 १०८३६ मूल्य २०) दिनांक २४-८-०१८
सामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

(signature)
स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
लाoनं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

उप निबन्धक, सैदपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 287153

3– **मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / स्थानान्तरण–**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का उत्तराधिकारी हमारे बे[redacted]जय[redacted]यादव होगें ।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें ।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है ।
4. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगी तो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष के प्रदत्त किये गये
5. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष बनेगा । कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी नियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।
6. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त करे दें । मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है । इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है । इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल के उतरार्द्ध में की गयी वसीयत / इच्छा / व्यवस्था की अन्तिम रूप से मान्य होगी ।

नं0 १०८३६ मूल्य २०) दिनांक २४-८-०१८

शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

रामप्रसाद

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-8 अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★ 11 SEP 2018 ★
गाजीपुर

उप निबन्धक, सैदपुर
सत्यमेव जयते
प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 287154

श्री उदयनारायण ट्रस्टन में सम्मलित बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के नाम/पद व पते ।

1. अध्यक्ष--उदयनारायण यादव पुत्र स्व0 जंगी यादव ग्राम-- विश्रामपुर पो0 सबुआ--गाजीपुर
2. उपाध्यक्ष--श्रीमती आशा देवी पत्नी उदयनारायण यादव ग्राम विश्रामपुर पो0 सबुआ--गाजीपुर
3. सचिव--अजय कुमार यादव पुत्र उदयनाराय यादव ग्राम विश्रामपुर पो0 सबुआ--गाजीपुर.
4. सदस्य श्रीमती आद्या देवी पत्नी हरि सिंह यादव ग्राम कोटवा नरायनपुर--बलियां
5. सदस्य श्रीमती अर्चना यादव पत्नी सत्येन्द्र कुमार यादव ग्राम रामजनपुर करण्डा--गाजीपुर
6. सदस्य-- हरी सिंह यादव पुत्र स्व0 सुदर्शन यादव ग्राम कोटवा नरायनपुर--बलियां
7. सदस्य सत्येन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व0 विरजू यादव ग्राम रामजनपुर करण्डा--गाजीपुर
8. सदस्य राजेश कुमार यादव पुत्र शोभनाथ यादव ग्राम व पो0 जैतपुरा--गाजीपुर
9. सदस्य ज्ञानप्रकाश यादव पुत्र स्व0 भूपनारायण यादव ग्राम व पो0 जैतपुरा--गाजीपुर

4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है ।
2. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्यावधि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की इच्छा पर निर्भर करती है । तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा ।

उदयनारायण

नं0 १०८३८ मूल्य २०) दिनांक २४-८-०१८
सामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

कार्यालय उप निबंधक सैदपुर गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 37AA 287155

4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा किया गया निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा ।

5. अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाएं

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।2. य ह ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगाना है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा । ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

6. कार्यक्षेत्र–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष में होगा । सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है ।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषधिकार–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दें, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा–निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा ।

नं0 १०८३८ मूल्य २०) दिनांक २४-८-०१८
शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

रामप्रसाद
स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★ 11 SEP 2018 ★
गाजीपुर

कार्यालय उप निबन्धक सैदपुर गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11) 37AA 287156

सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा ।
2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे ।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रयास पर्यन्त तक कार्य करेंगे । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक /प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है । अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है ।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्ति–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा ।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगे ।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रयास पर्यन्त कार्य करेंगे । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है । अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है ।

(signature)

नं0 १०८७० मूल्य २०१ दिनाक २४-८-०१८
सामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

रामप्रसाद
स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

37AA 287157

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9. **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

यह कि ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष / ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष / ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगें–

क– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

ख– ट्रस्ट के सभी कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना ।

ग– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन / परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्टार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा ।

10. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

अध्यक्ष / ट्रस्टी के अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषयों पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई निर्णय नही ले सकता ।

11. **सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–**

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप में कार्यरत एवं उत्तरदायी है ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है ।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना ।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना ।

उदयनारायण

नं0 १०८४१ मूल्य २०) दिनांक २४-६-०१८

शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

रामप्रसाद

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव

ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक

सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी

11 SEP 2018

गाजीपुर

कार्यालय उप निबन्धक, सैदपुर, गाजीपुर

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 56AD 138643

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना ।
4. विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठी / विभाग केन्द्रो / संस्थाओं / उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों / निर्देशकों, पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम / उपनियम बना सकना ।
5. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है ।
6. ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति व कृषि भूमि का क्रय–विक्रय कर सकता है ।
7. ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्ति कर सकना ।
8. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति मं उसका कार्य विभाजन कर सकना ।
9. प्रचार / प्रसार / मुद्रण / प्रकाशन / वितरण / विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना ।
10. जन सामान्य के कल्याण आदि विभिन्न आयोजन कर सकना ।

12. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उसके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना ।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हो ।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार / कर्तव्यों का पालन करना ।

13. बैंक एकाउण्ट खोलना –

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है । मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशें के अनुसार खाता खोल सकता है । अथवा संचालित कर सकता है ।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान / केन्द्र / कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है । इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है

उदयनारायण

नं0 १०८४२ मूल्य १०१ दिनाक २४-६-०१८
शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

रामप्रसाद
स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AD 138644

14. **विधिक कार्यवाही–**

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जाती है तो अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है ।

1. ट्रस्ट की चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है ।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।
3. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है ।
4. ट्रस्ट की चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है, सहन रख सकता है किराये पर दें सकता है अथवा ले सकता है ।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है ।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किस योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है ।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा, क्रय अनापत्ति, बंधक, भारित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है ।

15. **विशेष–**

क– इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **श्री उदयनारायण ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें ।

ख– अध्यक्ष/ ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है । तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी ।

(पुष्पा...)

नं0 १०८४३ मूल्य १०० दिनांक २४-८-०१८

शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

(signature)

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव

ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक

सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी

★ 11 SEP 2018 ★

गाजीपुर

सत्यमेव जयते

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(15)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 56AD 138645

साक्षीगण

1. नाम– आनन्द सिंह पुत्र बजरंगी सिंह आनन्द सिंह
ग्राम– डहन, सैदपुर–गाजीपुर
मो0 9616201292

टंकणकर्ता
पंकज चौरसिया
पंकज

2. नाम– अनिल राम पुत्र कैलाश राम
ग्राम– सौरम, करण्डा–गाजीपुर
मो0 8576852432
अनिल राम

उदयनारायण
(उदयनारायण यादव)
अध्यक्ष
श्री उदयनारायण ट्रस्ट
ग्राम– विश्रामपुर पो0 सबुआ–गाजीपुर

मसविदाकर्ता

दिनांक:– 25-9-2018

नं0 १०८४४ मूल्य १०) दिनांक २४-९-०१८
शामिल नं0 १०८३० के साथ बेचा

स्टाम्प विक्रेता-राम प्रसाद यादव
ला0नं0-४ अवधि मार्च सन २०२० तक
सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2018
गाजीपुर

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 39 के पृष्ठ 395 से 424 तक क्रमांक 65 पर दिनाँक 25/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर
25/09/2018

कार्यालय उप निबन्धक, सैदपुर, जनपद-गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

प्रिंट करें